पर्यावरण और वन मंत्रालय

मांग संख्या 30

पर्यावरण और वन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1133.25	151.21	1284.46	1037.59	151.00	1188.59	1223.99	153.28	1377.27
पूंजी		16.75	...	16.75	12.41	6.00	18.41	10.92	...	10.92
जोड़		**1150.00**	**151.21**	**1301.21**	**1050.00**	**157.00**	**1207.00**	**1234.91**	**153.28**	**1388.19**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	10.00	10.00	...	11.02	11.02	...	11.63	11.63
वानिकी और वन्यजीवन										
2. शिक्षा और प्रशिक्षण										
2.01 राज्य वन रेंजर्स महाविद्यालय	2406	1.08	2.25	3.33	1.22	2.44	3.66	3.00	2.50	5.50
	4406	0.50	...	0.50	0.75	...	0.75	0.50	...	0.50
	जोड़	*1.58*	*2.25*	*3.83*	*1.97*	*2.44*	*4.41*	*3.50*	*2.50*	*6.00*
2.02 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी	2406	2.75	2.82	5.57	2.89	2.78	5.67	4.30	2.76	7.06
	4406	2.25	...	2.25	0.80	...	0.80	0.70	...	0.70
	जोड़	*5.00*	*2.82*	*7.82*	*3.69*	*2.78*	*6.47*	*5.00*	*2.76*	*7.76*
2.03 भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण	2406	1.75	...	1.75	1.35	...	1.35	1.50	...	1.50
2.04 भारतीय वानिकी प्रबंध संस्थान	2406	4.00	0.82	4.82	4.50	0.76	5.26	5.00	0.78	5.78
जोड़-शिक्षा और प्रशिक्षण		**12.33**	**5.89**	**18.22**	**11.51**	**5.98**	**17.49**	**15.00**	**6.04**	**21.04**
3. अनुसंधान										
3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद	2406	32.00	11.46	43.46	34.00	11.20	45.20	51.00	11.54	62.54
3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान	2406	2.50	1.04	3.54	3.50	0.96	4.46	3.05	1.07	4.12
	जोड़	*34.50*	*12.50*	*47.00*	*37.50*	*12.16*	*49.66*	*54.05*	*12.61*	*66.66*
4. वन्य संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग-भारतीय वन सर्वेक्षण	2406	4.00	5.55	9.55	4.00	5.62	9.62	5.00	5.77	10.77
	4406	1.00	...	1.00	0.35	...	0.35	0.50	...	0.50
	जोड़	*5.00*	*5.55*	*10.55*	*4.35*	*5.62*	*9.97*	*5.50*	*5.77*	*11.27*
5. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन										
5.01 पुनर्जनन-वन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	2406	4.00	...	4.00	4.73	...	4.73	5.80	...	5.80
	4406	2.00	...	2.00	2.85	...	2.85	0.20	...	0.20
	जोड़	*6.00*	*...*	*6.00*	*7.58*	*...*	*7.58*	*6.00*	*...*	*6.00*
5.02 एकीकृत वन संरक्षण योजना	2406	5.10	...	5.10	2.45	...	2.45	...	...	...
	3601	59.50	...	59.50	40.00	...	40.00	...	...	...
	3602	0.40	...	0.40	0.20	...	0.20	...	...	...
	जोड़	*65.00*	*...*	*65.00*	*42.65*	*...*	*42.65*	*...*	*...*	*...*
5.03 ग्रीगेरियस फलोरिंग आफ मूली बम्बू (मेलोकन्ना बेक्सीफेरा)	2552	...	...	...	...	...	...	35.00	...	35.00
जोड़-वन संरक्षण विकास और पुनर्जनन		**71.00**	**...**	**71.00**	**50.23**	**...**	**50.23**	**41.00**	**...**	**41.00**
6. वन्य जीवन संरक्षण										
6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान	2406	10.00	1.50	11.50	10.00	1.41	11.41	10.00	1.45	11.45
6.02 प्रोजेक्ट टाइगर	2406	0.30	...	0.30	1.43	...	1.43	1.00	...	1.00
	3601	26.70	...	26.70	26.70	...	26.70	28.50	...	28.50
	जोड़	*27.00*	*...*	*27.00*	*28.13*	*...*	*28.13*	*29.50*	*...*	*29.50*
6.03 वन्य जीवन प्रभाग और विशेष कृतिक बलों के लिए परामर्शी सेवाओं को सुदृढ़ करना	2406	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
6.04 प्रोजेक्ट एलीफेंट	2406	0.35	...	0.35	0.30	...	0.30	0.50	...	0.50
	3601	10.65	...	10.65	10.65	...	10.65	11.59	...	11.59
	जोड़	*11.00*	*...*	*11.00*	*10.95*	*...*	*10.95*	*12.09*	*...*	*12.09*
6.05 केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण	2406	11.00	...	11.00	15.50	...	15.50	13.00	...	13.00
6.06 महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिकी विकास	2406	1.06	...	1.06	1.22	...	1.22	...	...	...
	3601	6.19	...	6.19	5.44	...	5.44	...	...	...
	जोड़	*7.25*	*...*	*7.25*	*6.66*	*...*	*6.66*	*...*	*...*	*...*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
6.07 राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता	2406	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	37.00	...	37.00	37.00	...	37.00	48.00	...	48.00
	3602	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*38.00*	*...*	*38.00*	*38.00*	*...*	*38.00*	*49.00*	*...*	*49.00*
6.08 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीवन का संरक्षण	2406	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
6.09 पशुओं का कल्याण	2406	14.00	0.68	14.68	14.00	0.63	14.63	19.00	0.65	19.65
6.10 बायो-विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार परियोजना (ईएपी)	2406	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़-वन्य जीवन संरक्षण		**122.25**	**2.18**	**124.43**	**127.24**	**2.04**	**129.28**	**137.60**	**2.10**	**139.70**
7. प्राणी विज्ञान उद्यान	2406	1.00	3.76	4.76	0.50	3.49	3.99	1.00	3.54	4.54
	4406	...	...	...	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50
	जोड़	*1.00*	*3.76*	*4.76*	*0.60*	*3.49*	*4.09*	*1.50*	*3.54*	*5.04*
8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2406	...	1.21	1.21	...	1.21	1.21	...	1.21	1.21
9. राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम										
9.01 राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड	2406	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	24.00	...	24.00
9.02 राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम	2406	182.00	...	182.00	191.00	...	191.00	233.85	...	233.85
	3601	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
	जोड़	*190.00*	*...*	*190.00*	*195.00*	*...*	*195.00*	*236.85*	*...*	*236.85*
9.03 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह वन वृक्षारोपण विकास निगम	6406	...	...	...	...	6.00	6.00	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय वानिकीकरण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम		**215.00**	**...**	**215.00**	**215.00**	**6.00**	**221.00**	**260.85**	**...**	**260.85**
जोड़-वानिकी और वन्य जीवन		**461.08**	**31.09**	**492.17**	**446.43**	**36.50**	**482.93**	**515.50**	**31.27**	**546.77**
पारिस्थितिकी और पर्यावरण										
10. सर्वेक्षण										
10.01 भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण	3435	9.50	12.80	22.30	8.78	12.42	21.20	8.00	12.78	20.78
	5425	4.50	...	4.50	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00
	जोड़	*14.00*	*12.80*	*26.80*	*10.28*	*12.42*	*22.70*	*11.00*	*12.78*	*23.78*
10.02 भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	3435	6.25	9.45	15.70	6.46	9.53	15.99	6.81	9.79	16.60
	5425	4.00	...	4.00	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00
	जोड़	*10.25*	*9.45*	*19.70*	*9.96*	*9.53*	*19.49*	*9.81*	*9.79*	*19.60*
कुल-सर्वेक्षण		**24.25**	**22.25**	**46.50**	**20.24**	**21.95**	**42.19**	**20.81**	**22.57**	**43.38**
11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार										
11.01 पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना	3435	34.00	0.02	34.02	24.00	0.02	24.02	32.50	0.02	32.52
11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय	3435	4.50	0.68	5.18	4.50	0.67	5.17	6.00	0.68	6.68
	5425	1.50	...	1.50	0.65	...	0.65	0.50	...	0.50
	जोड़	*6.00*	*0.68*	*6.68*	*5.15*	*0.67*	*5.82*	*6.50*	*0.68*	*7.18*
जोड़-पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार		**40.00**	**0.70**	**40.70**	**29.15**	**0.69**	**29.84**	**39.00**	**0.70**	**39.70**
12. संरक्षण कार्यक्रम										
12.01 जैव मंडल प्रारक्षण	3435	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	3.10	...	3.10
	3601	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	4.10	...	4.10
	जोड़	*6.00*	*...*	*6.00*	*6.00*	*...*	*6.00*	*7.20*	*...*	*7.20*
12.02 क्षेत्रीय वानस्पतिक उद्यानों के लिए सहायता	3435	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00
12.03 मैंग्रोव पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं और वेट लैंडस	3435	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	3601	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00
	जोड़	*11.00*	*...*	*11.00*	*11.00*	*...*	*11.00*	*11.00*	*...*	*11.00*
जोड़-संरक्षण कार्यक्रम		**18.50**	**...**	**18.50**	**18.50**	**...**	**18.50**	**20.20**	**...**	**20.20**

सं.30/ पर्यावरण और वन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
13. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय										
13.01 पर्यावरणीय सूचना प्रणाली	3435	3.00	0.21	3.21	5.50	0.19	5.69	4.50	0.19	4.69
13.02 उत्कृष्टता केन्द्र	3435	7.00	1.48	8.48	8.45	1.35	9.80	7.50	1.39	8.89
	जोड़	*10.00*	*1.69*	*11.69*	*13.95*	*1.54*	*15.49*	*12.00*	*1.58*	*13.58*
14. अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनर्जनन										
14.01 अनुसंधान और विकास	3435	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
14.02 जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण और विकास संस्थान	3435	7.00	...	7.00	8.06	...	8.06	7.50	...	7.50
14.03 पारिस्थितिकी-विकास बल	3435	8.00	...	8.00	8.40	...	8.40	8.00	...	8.00
	जोड़	*18.00*	*...*	*18.00*	*19.46*	*...*	*19.46*	*19.50*	*...*	*19.50*
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	3435	1.20	1.42	2.62	1.86	1.38	3.24	2.00	1.39	3.39
प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण										
16. राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण की रोकथाम										
16.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	3435	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
16.02 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	3435	304.20	...	304.20	287.41	...	287.41	347.50	...	347.50
16.03 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	3435	45.00	...	45.00	30.55	...	30.55	68.00	...	68.00
	जोड़	*354.20*	*...*	*354.20*	*322.96*	*...*	*322.96*	*420.50*	*...*	*420.50*
17. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम										
17.01 जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण (उपकर)	3435	...	76.52	76.52	...	76.52	76.52	...	76.52	76.52
17.02 पर्यावरण प्राधिकरण और पर्यावरण आयोग और न्यायाधिकरण की स्थापना	3435	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
17.03 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3435	22.00	7.49	29.49	20.00	7.35	27.35	39.00	7.57	46.57
17.04 सामान्य मल-जल शोधन संयत्रों का संवर्धन	3435	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.40	...	4.40
17.05 अन्य स्कीमें	3435	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*31.00*	*84.01*	*115.01*	*29.00*	*83.87*	*112.87*	*48.40*	*84.09*	*132.49*
18. प्रभाव मूल्यांकन										
18.01 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	3435	2.00	0.05	2.05	1.45	0.05	1.50	2.50	0.05	2.55
18.02 स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन	3435	2.00	...	2.00	1.25	...	1.25	1.50	...	1.50
	जोड़	*4.00*	*0.05*	*4.05*	*2.70*	*0.05*	*2.75*	*4.00*	*0.05*	*4.05*
जोड़-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण		**389.20**	**84.06**	**473.26**	**354.66**	**83.92**	**438.58**	**472.90**	**84.14**	**557.04**
19. अन्य कार्यक्रम										
19.01 प्रदूषण का शमन	3435	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
19.02 ताज संरक्षण मिशन	3601	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19.03 खतरनाक पदार्थ प्रबंध	3435	7.00	...	7.00	5.40	...	5.40	6.00	...	6.00
19.04 प्राकृतिक संसाधन प्रबंध	3435	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00
19.05 भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना	3435	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
19.06 भारतीय पर्यावरण-प्रबंध क्षमता निर्माण परियोजनाएं	3435	25.26	...	25.26	7.35	...	7.35	...	...	...
19.07 भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम-पर्यावरण समर्थन कार्यक्रम	3435	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	4.00	...	4.00
19.08 वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना	3435	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80
19.09 जैव विविधता संरक्षण	3435	3.50	...	3.50	2.60	...	2.60	3.00	...	3.00
19.10 सूचना प्रौद्योगिकी	3435	25.00	...	25.00	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00
19.11 जलवायु परिवर्तन परियोजना	3435	1.00	...	1.00	1.97	...	1.97	2.16	...	2.16
19.12 सिविल निर्माण एकक	5425	1.00	...	1.00	1.91	...	1.91	2.02	...	2.02
19.13 अन्य	3435	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	जोड़	*72.77*	*...*	*72.77*	*40.75*	*...*	*40.75*	*44.50*	*...*	*44.50*

सं.30/ पर्यावरण और वन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2004-2005 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2005-2006 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
20. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	115.00	...	115.00	105.00	...	105.00	88.50	...	88.50
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण		**688.92**	**110.12**	**799.04**	**603.57**	**109.48**	**713.05**	**719.41**	**110.38**	**829.79**
कुल जोड़		***1150.00***	***151.21***	***1301.21***	***1050.00***	***157.00***	***1207.00***	***1234.91***	***153.28***	***1388.19***
ग. योजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. वानिकी और वन्य जीवन	12406	461.08	...	461.08	446.43	...	446.43	480.50	...	480.50
3. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	13435	573.92	...	573.92	498.57	...	498.57	630.91	...	630.91
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	115.00	...	115.00	105.00	...	105.00	123.50	...	123.50
जोड़		**1150.00**	**...**	**1150.00**	**1050.00**	**...**	**1050.00**	**1234.91**	**...**	**1234.91**

1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं : यह प्रावधान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिवालयीन खर्चे के लिए है ।

2. शिक्षा और प्रशिक्षण:

2.01 राज्य वन रेंज़र्स कालेज : देहरादून, बर्नीहाट और कोयम्बतूर में स्थित 3 राज्य वन सेवा कालेज हैं । ये कालेज राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम चलाते हैं ।

रेंज़र्स कालेज: रेंज़र्स कालेज कुरसियाँग (पश्चिम बंगाल) में स्थित है । यह कालेज राज्य वन विभाग के रेंज अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है ।

2.02 इन्दिरा गांधी नेशनल फारेस्ट अकादमी, देहरादूनः इस अकादमी को देहरादून स्थित भारतीय वन कालेज का दर्जा बढ़ाकर और इसे वन अनुसंधान संस्थान से पृथक करके दिनांक 25.5.1987 को बनाया गया था । यह अकादमी भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करती है ।

2.03 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण: इस योजना के तहत भारतीय वन सेवा अधिकारियों को सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता है ।

2.04 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान: इस संस्थान की स्थापना छठी योजना के दौरान बड़ी मात्रा में वनीकरण और विशेष वन कार्यक्रम सहित भविष्य में वन आधारित उत्पादों के संरक्षण, इष्टतम उपयोग, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से संबंधित प्रबंधकीय दक्षता और विशेषज्ञता में विकास के उद्देश्य से एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी ।

3. अनुसंधान: निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान है :

3.01 भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद: इसकी स्थापना विद्यमान वन क्षेत्रों के संरक्षण तथा वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी । भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को 1.6.1991 से स्वायत्ता का दर्जा दिया गया । वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून अनुसंधान का उत्कृष्ट केन्द्र है । इसके अतिरिक्त, क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न पारि-भौगोलिक क्षेत्रों में आई सी एफ आर ई पांच के संस्थान हैं ।

(i) भारतीय काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।

(ii) इन्स्टीट्यूट ऑफ फारेस्टजेनेटिक्स एंड ट्री बीड्रिंग, कोयम्बटूर ।

(iii) इन्स्टीट्यूट ऑफ डिसिडियस फोरेस्ट, जबलपुर ।

(iv) इन्स्टीट्यूट एरिड जोन फोरेस्टरी रिसर्च, जोधपुर ।

(v) इन्स्टीट्यूट ऑफ रेन एंड मॉस्ट डिसिडियस फोरेस्ट रिसर्च, जोरहाट ।

3.02 भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर की स्थापना वर्ष 1963 में प्लाईवुड उद्योगों और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।

4. वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपयोगिताः भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून निरन्तर मध्यांतरों में वन संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण करता है और वैज्ञानिक वानिकी योजना को सरल बनाने हेतु पुनर्सूचीबद्धता द्वारा मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर योजना के लिए सूचना प्रदान करता है ।

5. वन संरक्षण, विकास एवं पुनरूद्धारः यह एक चालू कार्यक्रम है ताकि वनों की अंधाधुंध कटाई को और वन-भूमि को गैर-वन कार्य के लिए उपयोग करने पर रोक लगाई जा सके। वनों की प्रभावी रूप से सुरक्षा के लिए वन सुरक्षा शक्ति को सुदृढ़ करना, चराई प्रतिबंध को नियंत्रित करना तथा लकड़ी को मुख्य ईंधन के रूप से हटाकर वैकल्पिक ईंधन की आपूर्ति को अभिनिर्धारित कर लिया गया है । इस कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण योजना वन प्रभागों को सुदृढ़ करना है।

5.03 मुली (मेलोकेनाबैसिफेरा) बांसों का सामूहिक पुष्पीकरणः 2004-07 में पूर्वोत्तर राज्यों में मुली (मेलोकेनाबेसिफेरा) बांस के सामूहिक पुष्पीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं से निपटने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है ।

6. वन्य जीव संरक्षणः

6.01 भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादूनः सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है और सतत् शिक्षा मुहैया करवाता है तथा वन्य जीव में 2 वर्ष का (एम एस सी) पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है ।

6.02, 6.04 तथा **6.07** वन्यजीव संरक्षण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित चल रही योजनाएं हैं : "बाघ परियोजना " तथा "हाथी परियोजना " तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास । इन स्कीमों का उद्देश्य न केवल दुलर्भ प्रजातियों की अपितु सम्पूर्ण पारिस्थिकीय प्रणाली की रक्षा करना है । अन्तिम दो स्कीमों का उद्देश्य स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना तथा उनकी वनों पर की निर्भरता को कम करना भी है । इन स्कीमों का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों में योजनाबद्ध रूप से विभिन्न भोगाधिकारियों की आपूर्ति भी बढ़ाना है ।

6.10 जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजनाः जैव-विविधता का संरक्षण, उसका सतत उपयोग तथा जैविक संसाधनों और जानकारियों के उपयोग के फलस्वरूप मिलने वाले लाभों को सही एवं समान रूप से विभाजित करने से संबंधित मामलों पर कार्रवाई जैव-विविधता संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत की जाती है ।

7. प्राणी उद्यान : दसवीं योजना से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का विलय केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण में कर दिया गया है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगः इस योजना के तहत, वानिकी तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए योगदान किया जाता है।

9. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड : राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड की स्थापना अगस्त, 1992 में की गई थी । इसका उद्देश्य देश में वानिकी का विकास, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना तथा पारिस्थितकीय विकास है । अवक्रमित वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय

उद्यानों, अभ्यारण्यों तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों एवं पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाटों आदि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के आस-पास की भूमि सहित पुनरूत्थान पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है । वन क्षेत्रों में 2007 तक 25% क्षेत्र को इसके तहत लाने पर मंत्रालय मुख्य रूप से बल दे रहा है । इसकी प्राप्ति के लिए मुख्य स्कीम राष्ट्रीय वनीकरण स्कीम है। यू एन सी सी डी तथा विशेष वानिकी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी एन ए ई बी में शामिल किया गया है ।

10. सर्वेक्षणः

10.01 वानस्पतिकः भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कोलकत्ता में है, ये कार्य करता है; (क) देश की समस्त पौध स्रोतों का सर्वेक्षण करना, (ख) देश में सभी प्रकार के पौधों का सम्पूर्ण वर्गीकरण अध्ययन करना, (ग) समूची दुलर्भ प्रजातियों की सूची बनाना तथा उनके प्रभावी संरक्षण के लिए उपाय करना, (घ) मानव के लिए आर्थिक रूप से तथा अन्यथा भी उपयोगी पौधों को अभिनिर्धारित करना, उन्हें एकत्रित करना तथा उनके नमूनों की सुरक्षा करना ।

10.02 प्राणि विज्ञानः भारतीय प्राणि सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कोलकत्ता में है, क्रमबद्ध प्राणि विज्ञान में जीव सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य, पशु पारिस्थितिकी, पशुओं के विभिन्न समूहों जिसमें जलीय प्राणि भी शामिल हैं, के प्राणि भूगोल से संबंधित विषयों के कार्यों के प्रति उत्तरदायी है । इसके मूल उद्देश्य ये हैं; (क) प्राणि संसाधनों का अन्वेषण और सर्वेक्षण (ख) वर्गीकरण अध्ययन, (घ) दुलर्भ प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण ।

11. पर्यावरणीय शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार

11.01 पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण स्कीमः यह मंत्रालय प्रदर्शनियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से देश की आबादी के लगभग समस्त आयु वर्ग के लिए पर्यावरणीय शिक्षा को प्राथमिकता देता है । मंत्रालय प्राथमिक और उच्चतर पाठशाला स्तर एवं कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा देकर पर्यावरण शिक्षा से भी सन्निहित है । इस स्कीम के तहत मुख्य कार्यकलाप ये हैं : (क) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, (ख) इको क्लब (नेशनल ग्रीन क्रोप्स) तथा जन-जागरूकता ।

11.02 राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापनाः मंत्रालय के अन्तर्गत पारिस्थितिकी वन्यप्राणि तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में स्कूल जाने वाले छात्रों को अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए एक केन्द्र के रूप में की गई है ताकि राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत के विषय में देश में जागरूकता सृजित की जा सके और उसका संवर्धन किया जा सके ।

12. संरक्षण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य स्कीमें नम भूमियों तथा क्षेत्रीय वनस्पतियों,जैव मण्डल रिजर्वो का संरक्षण एवं प्रबंधन तथा क्षेत्रीय वनस्पति उद्यानों को सहायता देना है

13. पर्यावरणीय नियोजन तथा समन्वयः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की मुख्य स्कीमें पर्यावरण सूचना प्रणाली तथा उत्कृष्ट केन्द्र हैं । ई एन वी आई एस के अन्तर्गत पर्यावरण सूचना एकत्रित की जाती हैं और एकत्रित की गई सूचना को इस विषय से संबंधित 25 विशिष्ट ई एन वी आई एस केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ताओं में प्रचारित की जाती है ।

14. अनुसंधान एवं पारिस्थितिकीय सृजनः इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को इस मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जाता है । यह मंत्रालय पारिस्थितिकीय विकास, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक प्रणालियों के पुनर्स्थापन तथा क्षीण क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय पुनर्सृजनात्मकता में विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों तथा स्वैच्छिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है ।

15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगः यह प्रावधान पर्यावरण अनुसंधान तथा पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार के विकास में कार्यरत यू एन ओ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता देने के लिए है ।

16. राष्ट्रीय नदियों एवं झीलों के प्रदूषण का निवारणः पूर्व में चल रही "गंगा नदी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण " योजना को व्यापक बनाया गया है ताकि सभी राष्ट्रीय नदियों और झीलों को इसके तहत लाया जा सके । राष्ट्रीय नदियों के सभी नदी क्षेत्रों को स्वच्छ करने के लिए और इस कार्य के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्यों में अपवर्तन, शुद्धिकरण तथा पम्पिंग सेटों का नवीनीकरण करना शामिल है । जिन स्कीमों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है वे हैं : (i) नदियों में प्रवाहित अपशिष्ट जल को रोकना तथा उसे डाइवर्ट करना, (ii) अपशिष्ट जल का शोधन तथा संसाधनों, जैसेः जैव ऊर्जा आदि की रिकवरी करना तथा (iii) अन्य सफाई संबंधी उपाय जैसे अल्पलागत से सफाई और जैविक संरक्षण आदि । राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत 29 शहरी झीलों की आगे उनकी दशा और अधिक खराब होने से बचाने लिए उनके संरक्षण हेतु पहचान की गई है ।

17. वायु एवं जल प्रदूषण का निवारणः इस प्रावधान के तहत ये कार्य हैं: (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता अनुदान, (ii) राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता देना, तथा (iii) संगत स्कीमों का निधियन ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी । यह बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का कार्य भी देखता है । इस प्रावधान के अन्तर्गत साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं । 100 नई वायु गुणवत्ता मानीटरिंग प्रणालियों को वार्षिक योजना के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीमों अर्थात पर्यावरणीय लेखा परीक्षा, पर्यावरणीय स्टेटिस्टिक तथा मैपिंग और लघु स्तर के उद्योगों द्वारा अपनाई जा रही स्वच्छ प्रौद्योगिकी स्कीम को निवारक कार्य नीतियों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण के रूप में शामिल कर लिया गया था ।

18. प्रभाव मूल्यांकनः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन प्रमुख स्कीमों को शामिल किया गया है वे हैं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और विकास तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। विकास परियोजनाओं से संबंधित 30 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है । 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र पर जारी अधिसूचना के अनुसरण में संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किया जा रहा है ।

19. अन्य कार्यक्रमः इन स्कीमों अर्थात ताजमहल के संक्षण सहित "प्रदूषण उपशमन के लिए सहायता " तथा "परिसंकटमय पदार्थों का प्रबंधन " आदि के प्रमुख लक्ष्यों के अन्तर्गत प्रदूषण उपशमन संबंधी नीतिगत विवरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, केन्द्रीय /राज्य अनुसंधान संस्थाओं तथा अन्य सरकारी एजेंसियों/संगठनों की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायता करना शामिल है ।

19.07 भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पर्यावरण सहायता कार्यक्रमः यह पर्यावरण क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए है और यह विकेन्द्रीकरण एवं जन भागीदारी से नौवीं योजना पर आधारित है ।

19.08 वर्गीकी क्षमता निर्माण परियोजनाः अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा वर्गीकी कार्य में अन्तरालों की पहचान करने के बाद वर्गीकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की गई है ।

19.12 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर पूंजीगत व्ययः यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के पूंजीगत कार्यों के लिए है ।